न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ,

पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

अपील संख्या – 84 / 2018

अपीलान्ट :–

1 परवीन पुत्र श्री मंगलाराम
जति मेघवाल निवासी औसिया
तहसील औसिया जिला जोधपुर

–: ब ना म :–

रेस्पोडेन्ट :–

1 समु पुत्री श्री मंगलाराम पत्नि श्री चुतराराम
2 बस्ताराम पुत्र श्री मंगलाराम फौत जिनके कायम मुकाम
2–1 राधा पत्नि श्री बस्ताराम
2–2 इशा पुत्री श्री बस्ताराम
2–3 राजु पुत्र श्री बस्ताराम
रेस्पोडेन्ट संख्या 2–2 व 2–3 ना.बा.ज.कु.वली माता राधा
3 माडु पत्नि श्री मंगलाराम
4 पेमूदेवी पत्नि श्री भेराराम फौत जिसके काम मुकाम
4–1 रामाराम गौदपुत्र श्री भेराराम
5 पुनाराम पुत्र श्री मुकनाराम
6 छगनाराम पुत्र श्री मुकनाराम
7 रमेश पुत्र श्री मुकनाराम
8 ओमाराम पुत्र श्री बींजाराम
9 सोहनराम पुत्र श्री बीजाराम
जाति मेगवाल निवासीऔसिया
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।
10 सरपंच ग्राम पंचायत औसिया ।

उपस्थिति –
1 श्री चूनाराम गर्ग अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से ।
2 रेस्पोडेन्टगण की ओर से कोई उपस्थित नही एक पक्षीय ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट. 1956 (नामान्तरकरण संख्या 1989 दिंनाक 2.10.2001 को स्वीकृत किया गया)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:39:08 IST
Reason: SelfAttested

– निर्णय – **दिंनाक** – 16/10/19

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा पैतृक भूमि खसरा नम्बर 1500 रकबा 11 बीघा 14 बीस्वा , खसरा नम्बर 1503 रकबा 17 बीस्वा, खसरा नम्बर

Scanned by CamScanner

1503/2 रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा खसरा नम्बर 1502 रकबा 2 बीस्वा, कुल रकबा 29 बीघा 18 बीस्वा भूमि भेराराम, मंगलाराम पीसरान श्री किशनाराम पुनाराम, छगनाराम , रमेश पिता मुकनाराम, ओमाराम, सोहनराम पिता बीजाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार की मौजा ग्राम औसिया जिला जाधेपुर की सरहद मे आई हुई है । उक्त भूमि मे अपीलान्ट के पिता मंगलाराम पुत्र श्री किशनाराम के नाम से दर्ज थी । अपीलान्ट व रेसपोडेन्ट संख्या 1 से 3 स्वर्गीय मंगलाराम के वंशज है । उपरोक्त भूमि मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है जो अपीलान्ट के पिता मंगलाराम पुत्र श्री किशनाराम के नाम से दर्ज था। मंगलाराम के फौत होने के बाद जरीये उतराधिकार मंगलाराम की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी पुत्री अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 पुत्री समु पुत्र बस्ताराम व पत्नि श्री माडु को समान रूप से हक व अधिकार उत्पन्न हुए है, जिसमे अपीलान्ट व रेसपोडेन्ट संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से मे समान रूप से हक अधिकार व कब्जा काश्त रहा है । अपीलान्ट के पिता मंगलाराम फौत होने पर उनका फौतेगदी म्यूटेशन संख्या 1989 दिंनाक 2.10. 2001 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने पटवारी से मिली भगत कर बाले बाले अपने नाम अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकार करवा लिया जब कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि मे समान रूप से हक अधिकार व कब्जा काश्त है एवं अपीलान्ट इस विश्वास मे रही कि अपीलान्ट के पिता व पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व पति का नाम खातेदारी मे उनके नाम अवश्य ही दर्ज हो गया होगा । अभी हाल ही मे दिंनाक 15.5.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने वादग्रस्त भूमि मे बेदखल करने की धमकी देने पर बताया कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज नही है जिस पर अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से जानकारी ली व दिंनाक 16.5.2018 को अपीलाधीन म्यूटेशन 1989 व राजस्व रेकर्ड की नकल ली तब ज्ञात हुआ कि विवादग्रस्त भूमि मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज नही है उक्त भूमि मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज कर दिये गये है । जिससे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही रह जाता है । उक्त खसरे की भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नमा दर्ज नही है जो करनी चाहिये थी । अपीलाधीन म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज किया गया है जिस पर अपीलान्ट ने अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त की एवं उक्त नामान्तकरण के आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की है ।

अपीलान्ट की उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरीये समन तलब किया गया । सभी रेस्पोडेन्ट के समन बाद तामील सामिल मिसल किये गये । रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई वकालातनामा पेश नही हुआ और न ही कोई उपस्थित हुए जिस पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई । उक्त अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय [illegible] जबाब प्रस्तुत नही किया ।

मेने अपीलान्ट के अधिवक्ता [illegible] अधिवक्ता ने अपने अपील मिमो के तथ्यो को दो[illegible] अपीलाधीन नामान्तकरण विधी विरूद्ध तरीके से दर्ज किया गया है जो ग्राम [illegible]ायत एवं भू अभिलेख कर्मचारियो द्वारा कानूनी एवं वाक्याती भूल है अपीलान्ट मृतक खातेदार स्वर्गीय श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:39:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मंगलाराम का वैध पुत्री है जो आज दिन तक मृतक मंगलाराम की चल व अचल सम्पति पर काबिज है एवं उतराधिकारी है परन्तु ग्राम पंचायत औसिया ने अपीलान्ट को स्वर्गीय मंगलाराम के उतराधिकारी नही मान कर रेपोडेन्ट संख्या 2 व 3 को उतराधिकारी बता कर गलत ,अनूचित तरीके से नामान्तकरण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया है , अपीलान्ट को सुनवाई व सूचना का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है जिससे अपीलाधीन नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के प्रतिपादित सिद्वान्तो के विपरित होने से निरस्त किया जाने का निवेदन किया है तथा अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य मंगलाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र,व अन्य खातेदारी खेत खसरा नम्बर 205/1 मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होना पाया गया आदि प्रस्तुत किये जिसमे अपीलान्ट मंगलाराम की पुत्री व उतराधिकारी होना स्पष्ट साबित है । रेस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट को मंगलाराम का उतराधिकारी नही माने का कोई स्पष्ट ऐतराज पेश नही किया और नही धारा 5 मयाद अधिनियम का कोई ऐतराज व जबाब प्रस्तुत नही किया इसलिए अपील स्वीकार की जाती है ।

हमने एक पक्षीय अधिवक्ता की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली व सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । उक्त नामान्तकरण मे अपीलान्ट मंगलाराम की उतराधिकार के रूप मे नाम दर्ज नही है इसलिए उक्त अपील स्वीकार की जाकर आदेश नामान्तकरण संख्या 1989 खारिज किया जाकर तहसीलदार औसिया को रिमाण्ड किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मृतक मंगलाराम के वैधानिक उतराधिकारी की जांच की जाकर दस्तावेजात व प्रमाण पत्रो के अनुसार अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलक्टर, ओसिया

निर्णय आज दिंनाक 16/10/19 को सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर ,ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:39:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner